| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी |
|---|---|---|
| 12-1-17 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया एवं पेशकार उपस्थित। वकील वादिया द्वारा [redacted] शहादत पेश की [redacted] वकील वादिया की शहादत बंद की जा चुकी है। पेशकार सरकार शहादत प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं अतः [redacted] की शहादत बंद की जाती है। उभय पक्षों ने बहस करने हेतु समय चाहा। समय दिया जाता है वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 24-1-17 को पेश हो। | |
| 24-1-17 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया एवं पेशकार सरकार उपस्थित। उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 27-1-17 को पेश हो। | |
| 27-1-17 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया एवं पेशकार सरकार उपस्थित। वकील वादिया ने बहस के दौरान वाद पत्र में वर्णित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की दरख्वास्त की। जबकि पेशकार सरकार ने वाद पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर वाद पत्र को खारिज किये जाने की दरख्वास्त की।<br>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम दाता इजारेदार परवार हलका इजारेदार तहसील मांडल में स्थित है जो खुदकाश्त सेवा मोहनलाल ब्राह्मण के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2067 से 2070 EXP-1 से होती है। खुदकाश्त उर्फ खुदकाश्त w/o मोहनलाल ब्राह्मण के स्वयं जीवनकाल में | |

उपर ... कारी
मांडल ...

# FORM No. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | एक वसीयत नामा वादिया के पक्ष में दिनांक 6-8-1991 को लिखा गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत वसीयतनामा की फोटो प्रति EXP 2 से होती है ग्राम पंचायत डाहारिया ने एक प्रमाण-पत्र जारी किया, जिसमें श्रीमती सुन्दर बाई उर्फ सुन्दर बाई W/o मोहनलाल ~~[illegible]~~ ब्राह्मण का निवासी होकर इनके दोनों नामों से जाना जाता है कि तसदीक की। जिसकी ताईद प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 29-5-2016 EXP.4 से होती है सुन्दर बाई उर्फ सुन्दर बाई का देहान्त हो गया है जिसकी ताईद प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण की फोटो प्रति 9-1-14 से होती है. जो EXP.5 है प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से जाहिर है कि वादिया को ग्राम दांता डाहारिया पटवार हलका डाहारिया व तहसील मांडल में स्थित काश्तकियात सुन्दरबाई बेवा मोहनलाल ब्राह्मण काबिज देह के नाम दर्ज रेकार्ड है सुन्दरबाई उर्फ सुन्दरबाई का देहान्त दिनांक 9-1-14 को हो गया है देहान्त होने के पूर्व सुन्दरबाई उर्फ सुन्दर बाई W/o मोहनलाल ब्राह्मण ने एक वसीयत वादिया के पक्ष में लिखी। जिसमें ग्राम दांता डाहारिया पटवार हलका डाहारिया व तहसील मांडल में स्थित हाल काश्तकियात का उत्तराधिकारी वादिया को बनाया है। जिसकी ताईद प्रस्तुत वसीयतनामा व ग्राम पंचायत डाहारिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र से होती है। जिसमें सुन्दरबाई उर्फ सुन्दर बाई के दो नामों | |

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी |
|---|---|---|
| | | |

को जाना जाता है तथा प्रश्नगत काराजियात जिस
वादिया का कब्जा होना करीब 20 वर्ष से बताया गया
है जिसकी ताईद भी वकील वादिया के गवाहान के
द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्रों से होती है. प्रतिवादी की
ओर से पेशकार सरकार ने जवाबदावा प्रस्तुत
किया, जिसमें राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्ड्स)
रूल्स 1957 के नियम 132 के तहत कोई भी विलेख
रजिस्ट्रीकृत न होने की स्थिति में पटवारी हल्का द्वारा
नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की। तथा वसीयत का
रजिस्ट्रीकृत होना बताया। लेकिन वादिया ने दस्तावेजी
साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की जिसमें वसीयत के
द्वारा विवादित काराजियात का हकदार वादिया को वैध
व कब्जा काश्त भी वादिया की होना बताया। ~~[illegible]~~
तथा इन्द्र बाई उर्फ इन्दर बाई का निधन हो चुका है
ऐसी स्थिति में वादिया ही एक मात्र वारिस होने के
कारण विवादित काराजियात अपने नाम राजस्व रेकर्ड
में दर्ज कराना चाहती है.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया अपने
वाद पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण
वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित
समझता हूँ - अतः:

:: आदेश ::

वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री
बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादी के हक अजाय की
जारी की जाती है कि ग्राम कोठारिया पटवार
हलका कोठारिया II तहसील मांडल में स्थित खाता
आराजी नं० 333_342, 343, 344, 346_351
कुल किता 6 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा [illegible] वादिया
को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त आराजी
~~[illegible]~~ वादिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।
खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 आ0दी0)

पीठासीन अधिकारी:– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–234/2015 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्रीमति चांदी बाई पत्नि देबीलाल ब्यास, उम बालिग निवासी 21–ब्राह्मणों का बांस, रतलाम तहसील रतलाम जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) ——वादिया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——प्रतिवादी

---

वादिया की ओर से श्री यतीन्द्र चौधरी, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 27.1.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जावें।

वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम दांता लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया–द्वितीय तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी 333, 342, 343, 344, 346, 351, कुल किता 6 एकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

( देवीसिंह रावत )
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा।

आज दिनांक 24.1.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा